न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 504 सन 2018
अनवान :–

1. रामेश्वरलाल पुत्र गणपतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 23.7.20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 128/121 की कुल 12.1440हैक्ट जिसमें रामेश्वर पि0मु0 बस्तीराम एवं रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 116/111 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि में रामेश्वरलाल पि0मु0 बस्तीराम दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन एव 16 एनटीआर में वादी के पिता का नाम बस्तीराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का नाम गणपतराम है सहवन से वादी के पिता एवं दादा का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में अंकन है वादी के पिता का सही नाम गणपतराम है।

वादी के सभी दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, में वादी के पिता का नाम गणपतराम दर्ज है वादी ने अपने पिता के सही नाम के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों महावीर पुत्र भगतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी परलीका , रणजीत पुत्र जगराम जाति जाट निवासी परलीका ,महावीर प्रसाद पुत्र नानुराम जाति सुथार निवासी परलीका एव स्वय वादी ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया की वादी के पिता का सही नाम गणपतराम है वादी ने अपने कथनों/शपथ पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत परलीका का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वाद के पिता का सही नाम गणपतराम है इसप्रकार समस्त साक्ष्यों सबुतों के अनुसार वादी के पिता का सही नाम गणपतराम साबित है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार निवेदन किया की वादीया नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये वादीया ने यह वाद पेश किया गया है।

वादीया का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा चक चक 18 डीपीएन एवं 16 एनटीआर में वादी के पिता का नमा बस्तीराम के स्थान पर गणपतराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी /पेरोकार राज को तलब किया गया । पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरूस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 128/121 की कुल 12.1440हैक्ट जिसमें रामेश्वर पि0मु0 बस्तीराम एवं रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 116/111 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि में रामेश्वरलाल पि0मु0 बस्तीराम दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि रोही मौजा चक 18 डीपीएन एव 16 एनटीआर में वादी के पिता का नाम बस्तीराम दर्ज कर रखा है जबकि वादी के पिता का नाम गणपतराम है सहवन से वादी के पिता एवं दादा का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में अंकन है वादी के पिता का सही नाम गणपतराम है।

वादी के सभी दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, में वादी के पिता का नाम गणपतराम दर्ज है वादी ने अपने पिता के

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

सही नाम के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों महावीर पुत्र भगतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी परलीका , रणजीत पुत्र जगराम जाति जाट निवासी परलीका ,महावीर प्रसाद पुत्र नानुराम जाति सुथार निवासी परलीका एव स्वय वादी ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया की वादी के पिता का सही नाम गणपतराम है वादी ने अपने कथनों/शपथ पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत परलीका का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वाद के पिता का सही नाम गणपतराम है इसप्रकार समस्त साक्ष्यों सबुतों के अनुसार वादी के पिता का सही नाम गणपतराम साबित है वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोंकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वादी का नाम दुरुस्त किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 128/121 की कुल 12.1440हैक जिसमें रामेश्वर पि0मु0 बस्तीराम एवं रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 116/111 की कुल 3.0360हैक भूमि में रामेश्वरलाल पि0मु0 बस्तीराम दर्ज है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आम आदमी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, में वादी के पिता का नाम गणपतराम दर्ज है वादी ने अपने पिता के सही नाम के सम्बध में गांव के मौजिज व्यक्तियों महावीर पुत्र भगतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी परलीका , रणजीत पुत्र जगराम जाति जाट निवासी परलीका ,महावीर प्रसाद पुत्र नानुराम जाति सुथार निवासी परलीका एव स्वय वादी ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया की वादी के पिता का सही नाम गणपतराम है वादी ने अपने कथनों/शपथ पत्र के समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत परलीका का प्रमाण पत्र भी पेश किया जिसके अनुसार भी वाद के पिता का सही नाम गणपतराम है इसप्रकार समस्त साक्ष्यों सबुतों के अनुसार वादी के पिता का सही नाम गणपतराम होना प्रतित होता है।

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात सरपंच ग्राम पंचायत परलीका एवं ग्रामवासीयों के शपथ पत्र के आधार पर वादी के पिता का नाम गणपतराम होना प्रतित होता है वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्राम पंचायत परलीका के प्रमाण पत्र ग्रामवासीयो के शपथ पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 128/121 की कुल 12.1440हैक जिसमें रामेश्वर पि0मु0 बस्तीराम एवं रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 116/111 की कुल 3.0360हैक भूमि वादी के पिता का नाम बस्तीराम के स्थान पर बस्तीराम उर्फ गणपतराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.7.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामेश्वर पि0मु0 गणपतराम जाति ब्रहाम्ण निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 504 सन 2018 निर्णय दिनांक– 23.7.20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 डीपीएन के खाता संख्या 128/121 की कुल 12.1440हैक्ट जिसमें रामेश्वर पि0मु0 बस्तीराम एवं रोही मौजा चक 16 एनटीआर के खाता संख्या 116/111 की कुल 3.0360हैक्ट भूमि वादी के पिता का नाम बस्तीराम के स्थान पर बस्तीराम उर्फ गणपतराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.7.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)